वर्ष – 1 अंक – 11 पाक्षिक ई-मैगजीन 16 March 2014

Agra Development Foundation

agrarising©

'अंधेरे' में अगरा

website : www.adfagra.org©

होली की हार्दिक शुभकामनाएं....

होली के खूबसूरत रंगों की तरह आपको और आपके पूरे परिवार को आगरा डवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से बहुत-बहुत रंगों भरी उमंगों भरी शुभकामनाएं।

शुभकामनाओं सहित

पूरन डाबर	अध्यक्ष	(जूता निर्यातक)
वाई. के. गुप्ता	उपाध्यक्ष	(शारदा विश्वविद्यालय)
के. सी. जैन	सचिव	(अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट)
राकेश गर्ग	संयुक्त सचिव	(प्रकाश जैनरेटर)
चक्रेश जैन	कोषाध्यक्ष	(पीएनसी इन्फ्राटेक)
गुलाब लधानी	सदस्य	(होटल रेडीशन)
प्रह्लाद अग्रवाल	सदस्य	(यूपी हैंडीक्राफ्ट्स एम्पोरियम)
अशोक जैन (ओसवाल)	सदस्य	(कलाकृति एम्पोरियम)
अशोक जैन	सदस्य	(डॉक्टर सोप)
डॉ. आर. सी. मिश्रा	सदस्य	(न्यूरो सर्जन)
डॉ. रंजना बंसल	सदरय	(अशोक ऑटो सेल्स)
गोपाल गुप्ता	सदस्य	(गुप्ता एच.सी. ओवरसीज)
विनोद गुप्ता	सदस्य	(जगदीश मेटल वर्क्स)
किशोर खन्ना	सदस्य	(रोमसंस)
दीपेंद्र मोहन	सदस्य	(चार्टर्ड एकाउटेंट)

Agra Development Foundation

agrarising

INDEX

बिजली... 3

चाहरदीवारी 8

माता-पिता... 13

श्री के. पी. पालीवाल 19

आगरा डवलपमेंट फाउंडेशन, आगरा

(पंजीकृत दातव्य न्यास) के लिए
एसजीआई टॉवर, निकट भगवान
टॉकीज, आगरा–मथुरा राजमार्ग
(एनएच–2), आगरा–282002 से
मुद्रित एवं प्रकाशित।

अवधारणा संपादक:–

के. सी. जैन मो. 94122263072
E-mail : kishanjain@gmail.com

संपादक*: –

पीयूष गुप्ता मो. 08755354100,
for feedback & articles
E-mail : peeyushguptajournalist@gmail.com
website : www.adfagra.org

(*संपादक इस अंक में प्रकाशित
समाचार के चयन एवं संपादन हेतु
पी.आर.बी. एक्ट की धारा
7 के अंर्तगत उत्तरदायी)

आगरा के विकास के महत्वपूर्ण विषय आगरा राइजिंग के पिछले अंकों में आपके द्वारा उठाये गये हैं जो शहर सर्वांगींण विकास के लिए जरूरी है। मैं मानता हूँ कि हम सभी को एकजुट होकर शासन और प्रशासन पर इन मुद्दों को लेकर निरन्तर दबाब बनाना है और समय-समय सभी फोरम पर इन्हें जोरदारी से उठाना है ताकि आगरा ताज जैसा सुन्दर बन सके।

होली की शुभकामनाओं के साथ

राजेश गोयल
महासचिव
आगरा आयरन फाउण्डर्स एसोसियेएसन एवं
आगरा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसन

आगरा राइजिंग के द्वारा आगरा के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जा रहा है जिसके लिए उसकी समस्त टीम बधाई की पात्र है। निश्चित रूप यह एक सराहनीय प्रयास है और मुझे पूर्ण आशा है कि उठाये गये मुद्दों की आवाज दूर तक जायेगी और आगरा एक बेहतर शहर बन सकेगा।

आगरा राइजिंग के सभी पाठको को होली की भी ढेर सारी शुभकामनायें

सुशील चन्द गुप्ता
सचिव
एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा

पीयूष भाई ,

आपका नया अंक देखा, तथ्य परक जानकारी काफी उपयोगी है, निश्चित रूप से स्थायी महत्व की और उन सभी के लिये काफी उपयोगी है जो कि विकास परक पत्रिकारिता कर रहे हैं या फिर अवस्थापना संबधी योजनाओं में दिलचस्पी रखते हैं।

बधाई

राजीव सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार

Dear Team,

Firstly my heartiest thanks for bringing such initiative. I appreciate the theme of every issue "Agra Rising E-magazine". In fact there is no issue left till date which I have not read since its inception.

We are looking ahead as Agra to be best places to work... Bring some lime light to have industrial hub in Agra.

Hemant Agarwal
Agra

आगरा में गिर रही है जनता के हकों पर

बिजली

आगरा भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए पर्यटन व्यवसाय का आधार, ऐतिहसिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन और गैर प्रदूषणकारी उद्योगों का केंद्र है। यहां की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने 24 घंटे अबाधित विद्युत आपूर्ति के आदेश दिए हैं। किन्तु ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखते हैं, 'अंधेरे में' तथ्यों की दास्तान।

- ★ 2012–13 के मुकाबले 2013–14 में रहे कम लक्ष्य
- ★ ऑनलाइन वर्किंग पर हो रहा काम, वेबसाइट तीन साल से अपडेट नहीं
- ★ आगरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 के बजाय 16–17 घंटे बिजली
- ★ दक्षिणांचल निगम ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहा सात–आठ घंटे बिजली
- ★ यूपी के सात जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के नब्बे फीसद घर अंधेरे में

आगरा में तकनीकि शब्दों की आड़ में कटौति चल रही है। हम मानते हैं कि आगरा को सिर्फ एक जिले के रूप में देखें, तो यहां के हालात प्रदेश के ओवरऑल हालात के मुकाबले बेहतर हैं। लेकिन हमें आगरा के विशेष हालातों के मद्देनजर 24 घंटे अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काफी काम करने की जरूरत है। नागरिकों को विद्युत चोरी रुकवाने और समय से बिल का भुगतान करने के लिए भी आगे आना होगा।

विकास की गति हुई धीमी

अगर हम दक्षिणांचल के लक्ष्यों को आधार मानें तो हर क्षेत्र में लक्ष्य विगत वर्ष के सापेक्ष कम हुए हैं। यह तब और आश्चर्यजनक है जब मौजूदा सरकार अपना कुछ काम दिखा कर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। देखिए कुछ बानगी–राममनोहर लोहिया योजना के तहत 2012–13 में 65 करोड़ रुपये की राशि से 524 गांवों के ऊर्जीकृत होने की योजना थी, जो 2013–14 में 53 करोड़ रुपये की 414 गांवों के लिए रह गई। निजी ट्यूबवैल 2012–13 में 5858 ऊर्जीकृत होने का लक्ष्य था, जो 2013–14 में सिर्फ 2674 रह गया। राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण की 11वीं योजना के एटा जिले के कुछ गांव इलैक्ट्रिफिकेशन से बचे हुए है। राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण की 12वीं योजना की डीपीआर दाखिल हो चुकी है। अभी स्वीकृति नहीं मिल सकी है। अब चुनाव की घोषणा से आचार संहिता लगने के बाद कुछ उम्मीद भी नहीं है।

जनता को समय सीमा की जानकारी नहीं

जनता अपने जरूरी कामों के लिए ऑफिसों के चक्कर काटती रहती है। पहले लाइनमैन अपने स्तर पर काम कराकर देने के नाम पर चक्कर कटवाता है। फिर ऑफिस में बाबू, फिर उपमंडल अधिकारी (सब डीवीजनल ऑफीसर–एसडीओ), फिर सहायक अभियंता, फिर अधीक्षण अभियंता लेकिन कोई यह बताने को तैयार नहीं होता कि अमुक साधारण काम नियमत: कितने दिन में हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग की साइट पर जन सेवा के कार्यों को निपटाने की समय सीमा की पूरी सूची उपलब्ध है। आगरा राइजिंग पाठकों की सुविधा के लिए आवश्यक यूआरएल उपलब्ध करा रहा है। जनसेवा गारंटी अधिनियम के तहत सभी सेवाओं के निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए क्लिक करें –

http://www.uppcl.org/uppcllink/documents/05112011030837134_IR_041111.pdf

आगरा में टोरेंट का कार्य

आगरा में संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो टोरेंट की कार्य प्रगति के आंकड़े संतोषजनक हैं। लेकिन जनता के स्तर पर खास तौर से ज्यादा बिलिंग को लेकर असंतोष की खबरें रोज सुनने को मिल जाती हैं। टोरेंट एक नियम का उपयोग अपने हित में कर रहा है। वह है माह के अधिकतम लोड के आधार पर विद्युत कनैक्शन को राउंड ऑफ करते हुए उतने किलोवाट का मान लेना। यदि किसी के परिवार में कभी किसी जरूरत के वक्त कुछ बिजली के आइटम एक साथ जला दिए गए और वह लोड मान लीजिए कि दो किलोवाट से ज्यादा हो गया, भले ही उस परिवार का औसत खर्च एक किलोवाट ही हो, तो भी उसे लगातार तीन किलो वाट के कनैक्शन के आधार पर ही बिल का भुगतान करते रहना पड़ेगा। ऐसा नियमों की स्व: व्याख्या के आधार पर है। नियम हमेशा तर्क के आधार पर बनाए जाते हैं। लेकिन निजी कंपनी का उद्देश्य जनता के लिए कल्याणकारी व्यवस्था देने के बजाय लाभ अर्जन होता है।

आगरा नगर (टोरेंट क्षेत्र) में बिजली स्थिति

वर्ष	ग्राहक	बिजली (मिलियन यूनिट में)	पीक आवर्स में मांग (एमवीए में)	लाइन लॉस (प्रतिशत में)
2012–13	3.04 लाख	1125	431	51.26
2011–12	2.74 लाख	1054	383	54.33
अंतर (%)	+10.94	+6.74	+12.53	–5.65

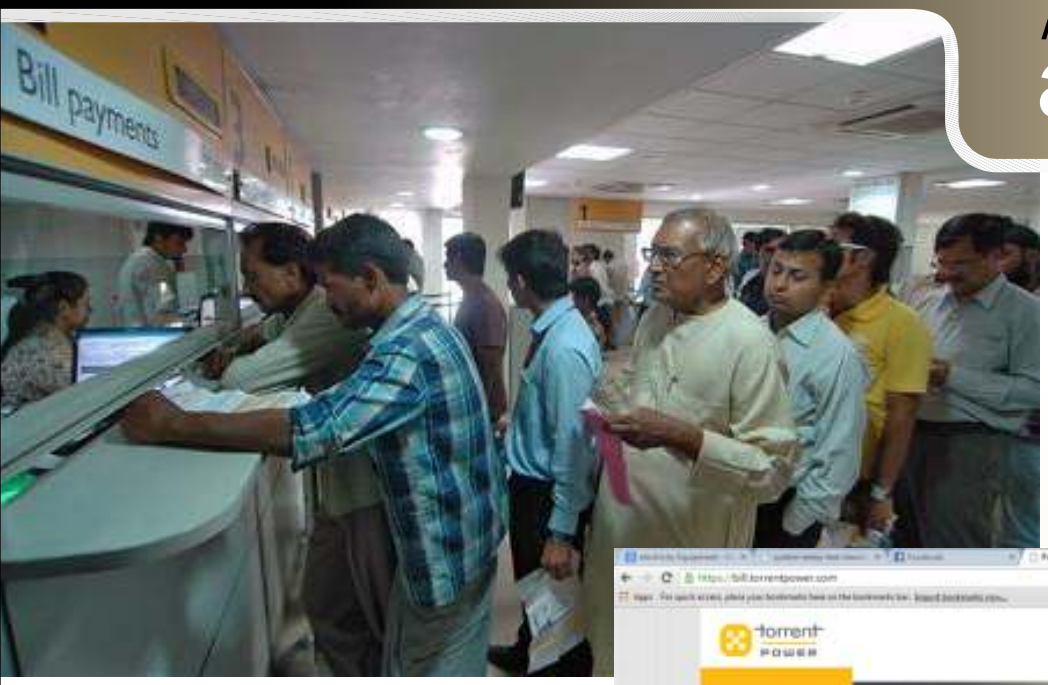

सीएजी उठा चुकी है सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के शासन में टोरेंट को बिजली वितरण की प्रक्रिया पर सीएजी अंगुली उठा चुकी है। 16 सितम्बर 2013 को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश हुई रपट में टोरेंट को बिजली वितरण सौंपे जाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, बिड मूल्यांकन और अनुपूरक अनुबंध पर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को मार्च, 2012 तक 421.21 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। अनुमान लगाया गया है कि इसी तरह चलते रहने पर अगले 18 सालों में 4601.12 करोड़ रुपये की चपत लगेगी। प्रदेश सरकार ने 2.73 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर 1.54 रुपये प्रति यूनिट की दर से टोरेंट को बेचने के आरोप भी लगे हैं।

दक्षिणांचल भी कर रहा अपने को अपडेट

जिस तरह टोरेंट काफी सेवाएं कम्प्युटरीकरण कर ऑनलाइन दे रहा है, वैसी ही ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए दक्षिणांचल भी काम कर रहा है। दक्षिणांचल के क्षेत्र में 39 टाउन हैं। इनमें से सात टाउन ऑनलाइन हो चुके हैं। बाकी 32 टाउन में बिलिंग ऑनलाइन हो चुकी है। दक्षिणांचल ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए 17 मॉड्यूल पर काम कर रहा है। 32 टाउन में बाकी 16 मॉड्यूल पर काम प्रगति पर है। जिन सात टाउन में सभी सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं वह अतरौली, कोसीकलां, जलेसर, भर्तना, सिकन्द्राराउ, टूंडला, सादाबाद हैं। यह कम्प्युटरीकरण कर ऑनलाइन सेवा देने का काम आर.–ए.पी.डी.आर.पी. योजना के तहत हो रहा है।

दक्षिणांचल की वेबसाइट नहीं हो रही अपडेट

यह एक विरोधाभास है कि एक तरफ सभी सेवाएं ऑनलाइन देने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणांचल की वेबसाइट पर मेन मेन्यू में एवाउट अस के बाद दूसरे ऑप्शन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के सब मेन्यू में आखिरी नंबर पर रोस्टर का ऑप्शन है। जब इसे डाउनलोड किया जाता है तो फरवरी 2011 के रोस्टर को दिखाता है। इससे साबित होता है कि साइट तीन साल से अपडेट नहीं हुई है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से अपेक्षा है कि दखल देकर इसे अपडेट कराएं, जिससे छोटी छोटी जानकारियों के लिए व्यक्ति को ऑफिसों के चक्कर लगाने के स्थान पर अपने घर/ऑफिस में बैठे जानकारी मिल जाए।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 आगरा

रोस्टर के अनुसार विद्युत की उपलब्धता

(नोडल विभाग -ऊर्जा विभाग)

माह: - फरवरी 2011

क्रमांक	जनपद		रोस्टर के अनुसार विद्युत की उपलब्धता हेतु निर्धारित घण्टे				रोस्टर फॉलो न होने का कारण	
			ग्रामीण		नगरीय			
			निर्धारित घण्टे	औसत आपूर्ति के घण्टे	निर्धारित घण्टे	औसत आपूर्ति के घण्टे	निर्धारित घण्टों की कमी का कारण	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2		3	4	5	6	7	8
1	अलीगढ़	अलीगढ़	10.00	9.40	16.00	19.45	–	.
		हाथरस(टी0टी0जेड क्षेत्र)	17.00	16.00	16.00	22.45	1.लोकल फॉल्ट, 2.अनुरक्षण कार्य, निर्धारित घण्टों में नियन्त्रण प्रणाली द्वारा आपात कालीन कटौती की जा रही है।	यथाशीघ्र दोषों को दूर कराया जाता है।
		एटा	10.00	8.25	16.00	16.05	1.लोकल फॉल्ट, 2.अनुरक्षण कार्य, निर्धारित घण्टों में नियन्त्रण प्रणाली द्वारा आपात कालीन कटौती की जा रही है।	यथाशीघ्र दोषों को दूर कराया जाता है।
		कांशीराम नगर	10.00	9.35	16.00	18.10	–	तदैव
2	आगरा	आगरा	21.00	16.30	24.00	22.37	अतिभारिता एवं अकस्मिक कटौती/ब्रेकडाउन	.
		फिरोजाबाद	21.00	13.05	24.00	19.30	ग्रिड से विद्युत की अनुपलब्धता होने के कारण आपातकालीन कटौती की जा रही है।	.
		मथुरा	17.00	12.10	20.00	21.17	ग्रिड से विद्युत की अनुपलब्धता होने के कारण आपातकालीन कटौती की जा रही है।	
		मैनपुरी	10.00	9.50	16.00	18.06	कन्ट्रोल द्वारा की गई आपात रोस्टिंग के कारण, ग्रिड से ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 33 केवी पर 10.20औसतन तथा जिला मुख्यालय पर 33 केवी0पर 18.30 घण्टे विद्युत आपूर्ति पर प्राप्त	
3	कानपुर	इटावा	10.00	10.44	16.00	18.10	उपलब्धता में कमी एवं स्थानीय व्यवधान	विद्युत उपलब्धता अधिक रही है।
		औरैया	10.00	8.30	16.00	14.30	तदैव	सभी ब्रेकडाउन अटेण्ड कर आपूर्ति सुचारू कर दी गयी है।
		कन्नौज	10.00	8.30	16.00	15.35	तदैव	सभी ब्रेकडाउन अटेण्ड कर आपूर्ति सुचारू कर दी गयी है।
		रमाबाई नगर	10.00	9.30	16.00	21.00	तदैव	विद्युत उपलब्धता अधिक रही है।
		कानपुर नगर	10.00	7.50	-	-	तदैव	सभी ब्रेकडाउन अटेण्ड कर आपूर्ति सुचारू कर दी गयी है।
		केरको	-	-	21.33	20.03	उपलब्धता में कमी एवं स्थानीय व्यवधान	सभी ब्रेकडाउन अटेण्ड कर आपूर्ति सुचारू कर दी गयी है।
		फर्रूखाबाद	10.00	9.30	16.00	17.25	स्थानीय व्यवधान	विद्युत उपलब्धता अधिक रही है।
4	झाँसी	जालौन/उरई	16.00	16.56	16.00	17.54	स्थानीय ब्रेकडाउन एवं अनुरक्षण कार्यों के कारण	सभी ब्रेकडाउन अटेण्ड कर आपूर्ति सुचारू कर दी गयी है।
		झांसी	16.00	14.16	18.00	20.45	तदैव	तदैव
		ललितपुर	16.00	15.35	16.00	15.53	तदैव	तदैव
5	बांदा	चित्रकूट	16.00	15.10	16.00	15.50	स्थानीय ब्रेकडाउन एवं अनुरक्षण कार्यों के कारण	सभी ब्रेकडाउन अटेण्ड कर आपूर्ति सुचारू कर दी गयी है।
		बांदा	16.00	16.09	16.00	17.58	–	–
		महोबा	16.00	15.05	16.00	15.49	स्थानीय ब्रेकडाउन एवं अनुरक्षण कार्यों के कारण	सभी ब्रेकडाउन अटेण्ड कर आपूर्ति सुचारू कर दी गयी है।
		हमीरपुर	16.00	13.38	16.00	14.37	स्थानीय ब्रेकडाउन एवं अनुरक्षण कार्यों के कारण	सभी ब्रेकडाउन अटेण्ड कर आपूर्ति सुचारू कर दी गयी है।

आगरा सासंद भी कर चुके हैं धरना–प्रदर्शन

आगरा के सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया जनता के हक के लिए लगातार संघर्षरत रहते हैं। वे समय–समय पर पानी–बिजली–सड़क आदि के लिए विभिन्न स्तर पर आवाज उठाते रहते हैं। उन्होंने जनवरी 2014 के मध्य टोरेंट से जनता के हित के लिए आवाज उठाई। उन्होंने टोरेंट पॉवर के मीटर की जांच दिल्ली की लैब से कराने, कंपनी का टोल फ्री नंबर तत्काल शुरू कराने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने, 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत की छूट देने, चालू बिजली मीटरों का फिक्स्ड चार्ज हटाने, गलत असिसमेंट, एफआईआर और छापेमारी के नाम पर उत्पीड़न रोकने और टीटीजेड के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने की मांग की गई थी।

दक्षिणांचल को प्राप्त/बेची बिजली एवं राजस्व

विवरण	वित्त वर्ष		
	2010–11	2011–12	2012–13
बिजली प्राप्त/बेची (मिलियन यूनिट में)	12367.969	14030.322	15356.235
राजस्व प्राप्त (करोड़ रुपये में)	2163.13	2454.43	2905.44

रोस्टर के अनुसार नहीं हो रही आपूर्ति

आगरा ताज ट्रिपैजियम जोन में आने से माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के आदेश हैं। आगरा नगर क्षेत्र के मुकाबले आगरा ग्रामीण क्षेत्र के हालात ज्यादा बदतर हैं। 24 घंटे आपूर्ति के बाबजूद 16 से 18.30 घंटे की आपूर्ति का रिकॉर्ड है। अंदाज लगाया जा सकता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की यह स्थिति है तो जहां के लिए कोई आदेश नहीं है, वहां क्या स्थिति होगी।

रोस्टर के सापेक्ष आगरा जनपद में आपूर्ति के घंटे

माह	औसत आपूर्ति		
	निर्धारित	नगरीय	ग्रामीण
अप्रैल 2013	24.00	21.59	16.10
मई 2013	24.00	22.40	18.00
जून 2013	24.00	22.53	17.10
जुलाई 2013	24.00	23.25	18.10
अगस्त 2013	24.00	23.23	18.20
सितम्बर 2013	24.00	22.02	17.15
अक्टूबर 2013	24.00	22.15	16.18
नवम्बर 2013	24.00	23.40	18.10
दिसम्बर 2013	24.00	23.09	16.18
जनवरी 2014	24.00	23.08	18.30

रोस्टर में आपूर्ति के लिए निर्धारित घंटे

जनपद	निर्धारित घंटे	
	नगरीय	ग्रामीण
आगरा	24.00	24.00
फिरोजाबाद	24.00	14.00
मथुरा	24.00	14.00
मैनपुरी	24.00	24.00
हाथरस	24.00	10.00
अलीगढ़	21.00	10.00
एटा	17.00	10.00
कासगंज	17.00	10.00

दक्षिणांचल के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम आपूर्ति वाले जिले

क्र. सं.	जनपद	आपूर्ति घंटे में
1.	औरैया	7.05
2.	फर्रूखाबाद	7.06
3.	कासगंज	7.22
4.	अलीगढ़	7.33
5.	एटा	7.50

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में नाममात्र के घर रोशन

देश के जनगणना निदेशालय द्वारा 2011 की जनगणना में जुटाए गए आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश की भयाभय सच्चाई सामने आती है। ग्रामीण क्षेत्रों के कितने घरों तक बिजली पहुंच पाई है, यह तथ्य आंखों के सामने अंधेरा ला देता हैं। हरदोई जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सिर्फ 6.50 फीसदी घरों में बिजली कनैक्शन पहुंच पाया है। राजधानी लखनऊ के पड़ौसी जिलों में शुमार सीतापुर के भी सिर्फ 7.10 फीसदी घर ही रौशन हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के सबसे कम रौशन घर

क्र.सं.	जनपद	रौशन घर %
1.	हरदोई	6.50
2.	सीतापुर	7.10
3.	उन्नाव	8.40
4.	बदायूं	9.20
5.	फतेहपुर	9.30
6.	श्रावस्ती	9.50
7.	बहराइच	9.80
8.	कानपुर देहात	10.70
9.	कांशीराम नगर	11.00
10.	लखीमपुर खीरी	11.50

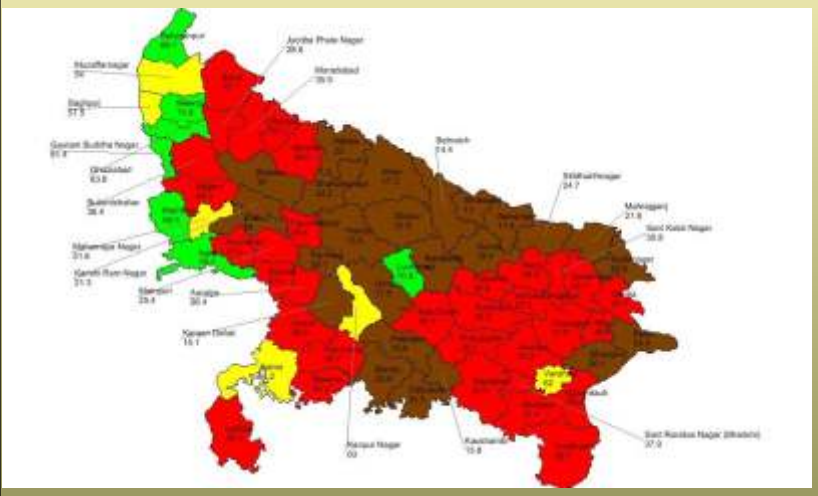

सोलर ऊर्जा को मिले बढ़ावा

आगरा के मौसम और तापमान के आधार पर विभिन्न सर्वे रिपोर्टों में यह तथ्य सामने आया है कि आगरा में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। गैर परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा देश के चुनींदा शहरों को सोलर सिटी बनाने की योजना में शामिल किया गया है। काफी पहले भी एक योजना फतेहपुर सीकरी में एक बड़ा सोलर प्लांट लगाने की मंजूर हुई थी। चर्चा थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने उस योजना को अतरौली में शिफ्ट कर दिया। अयोध्या मंदिर का ढांचा ढहने के बाद, सरकार गिर जाने के बाद वह योजना न अतरौली में शुरू हो पाई न आगरा में।

हमारी अपेक्षाएं

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वेबसाइट यथाशीघ्र अपडेट हो।

जन सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सभी सेवाओं के निश्चित अवधि में पूरा करने से संबंधित जानकारी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएं।

आगरा को देश की धरोहर ताजमहल के संरक्षण, संवर्धन को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर 24 घंटे अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

Let's peep into our history

Agra (The Akbarabad) was the walled city

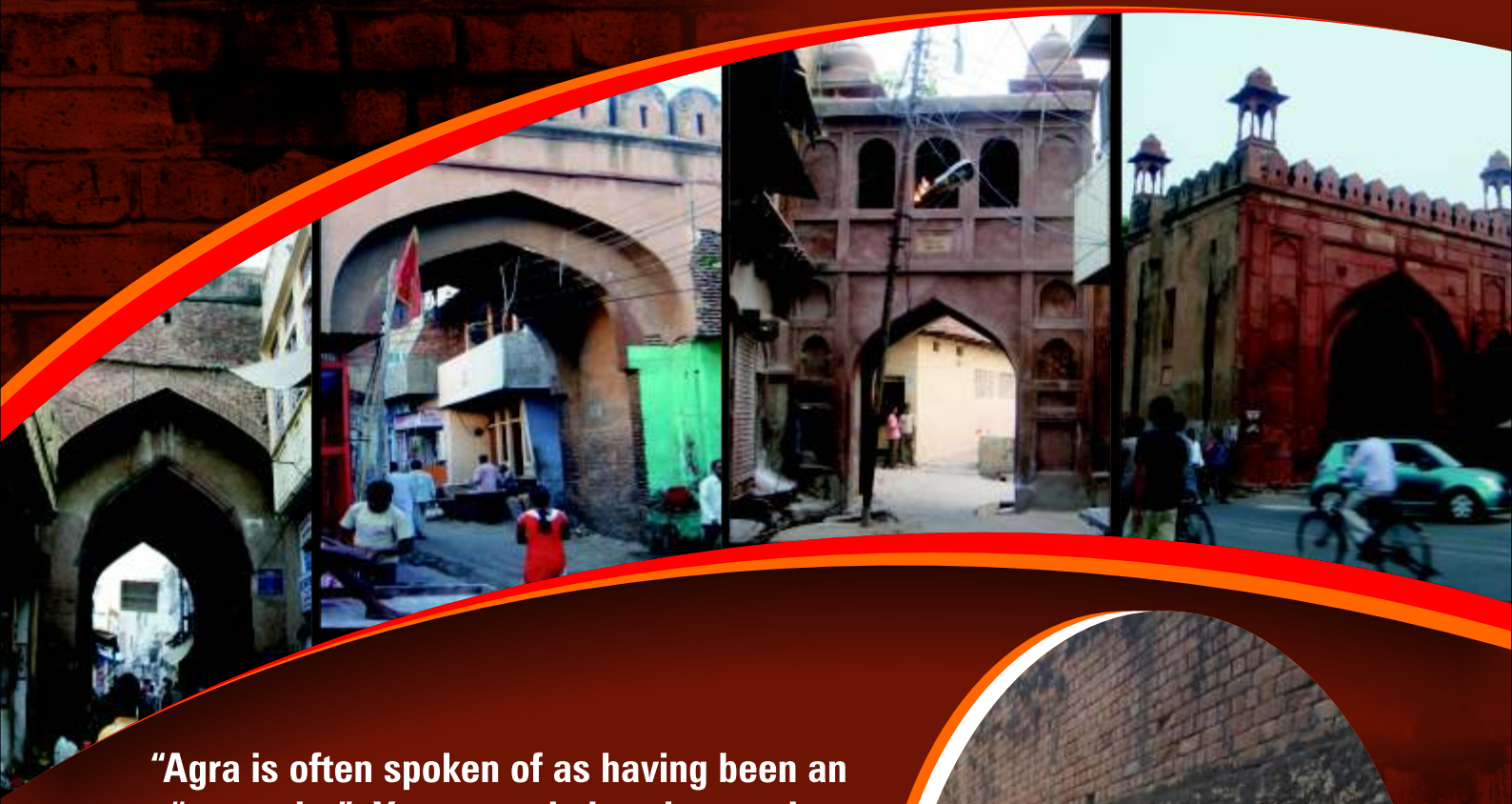

"Agra is often spoken of as having been an "open city". Yet, nevertheless it was the walled city. But though it was a walled city, it could hardly be called a fortified city in the correct sense of the term; for the wall, or what remains of it, is in no place more than about five feet in thickness, and generally only about four feet. I speak, of course, here only of the city wall of Agra, quite independent of the fort, which latter was a separate fortification or citadel by itself."- A.C.L. Carlleyle in its Report of Agra (ASI) for the Year 1871-72 (First Edn., 1874).

आमतौर पर जाना जाता है कि फतेहपुर सीकरी चाहरदीवारी वाला शहर था, ऐसी कोई मान्यता आगरा शहर के बारे में नहीं है। आपको जानकार हैरानी होगी कि आगरा भी चाहरदीवारी वाला शहर था, जिसके 16 दरवाजे थे। दिल्ली गेट इसी चाहरदीवारी के प्रमुख दरवाजों का जीता–जागता प्रमाण है। छिगा मोदी गेट, कंस गेट और दखनी दरवाजा भी इसकी गवाही देते हैं। गोकुलपुरा में तो इस चाहरदीवारी के अवशेष भी देखे जा सकते हैं।

दिल्ली गेट

यह आगरा की मुगलकालीन चाहरदीवारी का सबसे महत्वपूर्ण द्वार था। इससे मथुरा, दिल्ली और लाहौर की ओर कूच किया जाता था। इस मार्ग पर थोड़ी–थोड़ी दूर पर कोस मीनार बनाई गई थीं। हर कोस मीनार के पास यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था और एक कुआं होता था। दिल्ली गेट लाल पत्थर से निर्मित है। यहां पर शिलालेख में हिंदी, अंग्रेजी में 'दिल्ली दरवाजा' लिखा है।

वर्तमान में नगर में आने–जाने की सुविधा को ध्यान में रखकर ज्यादा चौड़ा रोड बगल में अलग से बना दिया गया है। यह इमारत भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 22 दिसम्बर 1920 को संरक्षित घोषित की गयी है।

अजमेरी गेट

ब्रिटिश काल में डूमंड रोड (वर्तमान में महात्मा गांधी रोड) पर सुभाष पार्क के सामने पचकुइंयां की ओर जाने वाले मार्ग पर अजमेरी गेट था। यह आगरा की चाहरदीवारी के प्रमुख 16 दरवाजों में से एक था। सन 1867 में अंग्रेजों द्वारा कोठी मीना बाजार में उत्तर पश्चिम प्रांत की लगाई गई प्रदर्शनी में सामान लाने–लेजाने में दिक्कत होने के कारण इसे ध्वस्त कर दिया गया। आगरा से फतेहपुर सीकरी, भरतपुर, जयपुर जाने के लिए यह प्रमुख मार्ग था। जयपुर से मुगल सल्तनत के करीबी संबंध थे। अकबर की पत्नी और जहांगीर की मां आमेर (जयपुर) की राजकुमारी थी।

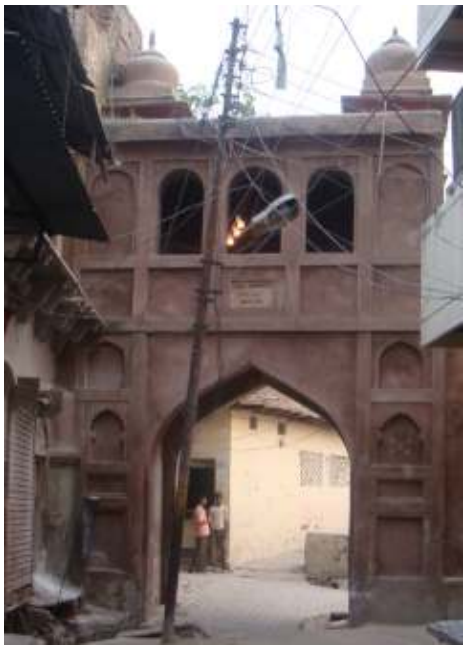

कंस दरवाजा

भगवान श्री कृष्ण के सगे मामा लेकिन अत्याचारी शासक कंस के नाम पर भी एक ऐतिहासिक गेट आगरा में है। कंस द्वार का नाम कैसे पड़ा, इसकी भी काफी रोचक दास्तान है। होली की पड़वा को इस गेट पर कंस का पुतला

तात्या टोपे

बनाया जाता था। मंसा देवी मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की सवारी आकर उस पुतले का 'वध' करती थी। इस अवसर पर यहां एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। इसीलिए इसका नाम कंस गेट पड़ गया। यह दरवाजा भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 22 दिसम्बर 1920 को संरक्षित घोषित किया गया है।

इसके ऊपर दो, चार–चार खम्भों पर आधारित छतरियां बनी हैं। द्वार पर एक शिलालेख में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में 'कंस दरवाजा' उत्कीर्ण है। उसके पीछे गहराई में एक नाला है। कंस दरवाजे से लगी दीवार को सन 1858 में तत्कालीन अंग्रेज जिलाधिकारी द्वारा तोपों से ध्वस्त कर दिया गया था। इसकी वजह यहां सोमेश्वर नाथ मंदिर में सन 1857 के प्रसिद्ध स्वतत्रंता सेनानी तात्या टोपे ने शरण ली थी। इसकी सूचना ब्रिटिश भारत के अधिकारियों को लगने पर अंग्रेज फौज उनको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पहुंची। अंग्रेज फौज के यहां पहुंचने से पहले ही स्थानीय नागरिकों के सहयोग से तात्या टोपे फरार हो गए थे। तत्कालीन शासन की क्रोधाग्नि से इस ऐतिहासिक बाउंड्री एवं द्वार को झुलसा दिया।

कंसगेट के जीर्णोद्धार के लिए आगरा के प्रख्यात इतिहासकार श्री राजकिशोर राजे ने एक पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा था। इस पत्र के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके जीर्णोद्धार हेतु

पत्र भी श्री राजे को प्राप्त हुआ था। तभी इस पत्र पर कार्यवाही के आदेश भारतीय पुरातत्व विभाग को हुए होंगे, जिस पर एएसआई ने इस द्वार की बड़े पैमाने पर मरम्मत कराई थी।

छिंगा मोदी गेट

छिंगा मोदी गेट, दिल्ली गेट और कंस गेट के अलावा मौजूद गेट में से एक है। इसे प्रायः पुल छिंगा मोदी भी कहा जाता है। यह दरवाजा नीचे ज्यादा ढलान होने की वजह से पुल छिंगा मोदी कहा जाता है। यह आगरा के पश्चिम में लोहा की मंडी में स्थित है। इस द्वार से कोठी मीना बाजार की ओर जाने का रास्ता है। इस द्वार का निर्माण शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूरी ने करवाया था। इस गेट के अंदर एक हाथ में छह अंगुली वाला रसद पहुंचाने वाला व्यापारी रहता था। उसने अपनी मौजूदगी में दिन–रात का समय देकर इस द्वार को बनवाया था। अतः छिंगा मोदी दरवाजे के नाम से जाना जाने लगा। इसका बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार 1721 में आगरा के मुगल सूबेदार सवाई जयसिंह द्वारा कराया गया।

यह अपने समय के खूबसूरत दरवाजों में से एक है। यह ककैया ईट और प्लास्टर से बना है। इसके महिराब लाल बलुआ पत्थर के बने हैं। यहां दो अर्द्ध गोलाई लिए मीनारें हैं। इस पूरे भवन की लंबाई 58 फुट 4 इंच और गहराई 12 फुट 4 इंच है। इसके बाहरी मेहराब 16 फुट 8 इंच चौड़े हैं। इसमें 13 फुट 6 इंच लंबा और 6 फुट 10 इंच चौड़ा दालान भी है। यह दालान शुरूआत में 11 फुट 4 इंच का है, जो दरवाजे की तरफ 12 फुट का हो गया है। इस दरवाजे में दो छोटे दरवाजे भी लगे हैं, जो 5 फुट X 4 फुट की छोटी कोठरियों से बगल से हैं।

यह दरवाजा ए.एस.आई. द्वारा 22.12.1920 को संरक्षित स्मारक घोषित हुआ।

चाहरदीवारी पर कार्लेल की राय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिए सर्वेक्षण करने वाले इतिहासकार श्री ए. सी. एल. कार्लेल ने 1871–72 में सर्वे किया था। उनकी यह सर्वे रिपोर्ट प्रथम संस्करण के रूप में 1874 में सामने आई। इस सर्वे के लिए

श्री राजकिशोर राजे

जमीनी हकीकत जानने वाले कार्लेल ने लिखा है कि "मैंने आगरा की चाहरदीवारी चाहे वह मौजूद है या बर्बाद हो चुकी है, का पूरा सर्वेक्षण और नापतौल की है। इसके मूल की तुलना में बहुत कम अवशेष बचे हैं। इसके बावजूद यह विचारणीय हैं। सबसे ज्यादा विचारणीय अवशेष आगरा पश्चिम के गोकुलपाड़ा जो लोहामंडी क्षेत्र का हिस्सा है, में हैं।

यह दरवाजा ए.एस.आई. द्वारा 22.12.1920 को संरक्षित स्मारक घोषित हुआ।

कार्लेल की आगरा और उसकी चाहरदीवारी की नापजोख

कार्लेल ने अपनी रिपोर्ट लिखने से पूर्व आगरा की चाहरदीवारी को खुद देखा और उसकी नापजोख भी की। यह चाहरदीवारी इस प्रकार थी:

- आगरा किले के उत्तर पूर्व दिशा में यमुना नदी के निकट से जफर खाँ के मकबरे के पास से यह चाहरदीवारी खटीक की बगीची से शुरू होती थी। जफर खाँ का मकबरा आजकल वाटरवर्क्स चौराहे पर लाल मस्जिद के नाम से अधिक जाना जाता है। यह जफर खाँ का मकबरा चाहरदीवारी के बाहर था। वर्ष 1871–72 में वहां पर 566 फुट लम्बी दीवार खड़ी हुई थी।
- वहां से दीवार कोड़ीखाना, वृक्षों के समूह,

दखिनी गेट

आगरा का 1722 में बनाया गया मा

हनुमान जी की मूर्ति (सम्भवतः लंगड़े की चौकी) से होती हुई सुल्तानगंज तक आती थी किन्तु सुल्तानगंज की आबादी इस चाहरदीवारी से बाहर थी।

- सुल्तानगंज से यह वजीरपुरा तक आती थी लेकिन वजीरपुरा की आबादी चाहरदीवारी के बाहर थी।
- उसके उपरांत यह मथुरा रोड को पार करती हुई आलमगंज बाजार और पचमुहम्मद और फिर लोहा की मण्डी होती हुई भरतपुर रोड जाती थी।
- वहां से यह छिंगामोदी पुल, फूटा फाटक होती हुई कंसगेट तक आती थी।
- कंसगेट से यह छोटा ग्वालियर गेट और अजमेर गेट को शाहगंज रोड पार करती हुई जाती थी।
- उसके बाद यह चाहरदीवारी ईदगाह मस्जिद और नामनेर को बाहर छोड़ती हुई बालूगंज जाती थी।
- बालूगंज से यह लच्छीपुरा जो कि इस चाहरदीवारी के अंदर था वहां से गरीपुरा जो ताजमहल से 2 मील दूर था, को जाती थी।
- इस प्रकार यह दीवार आगरा के उत्तर पूरब में जफर खां रोजा (लाल मस्जिद, वर्तमान में चौराहा वाटर वर्क्स) से शुरू होकर दिल्ली गेट और अजमेर गेट से होती हुई ताजमहल के समीप तक जाती थी।

यह हिस्सा औसतन कुल 6,548 फुट 9 इंच लंबा है। यदि कुल बर्बाद चाहरदीवारी की गणना करें तो करीब 32,689 फुट से कम नहीं बैठेगी। कार्लेल ने आगरा की पश्चिम से पूर्व तक की चौड़ाई की भी गणना की है। यह छिंगा मोदी गेट, भरतपुर रोड से पाँटून ब्रिज (वर्तमान में हाथीघाट के नजदीक वाला पुल) तक मापी गई है। आगरा की लंबाई आगरा के उत्तर से दक्षिण की मापी गई है। यह खटीक बाग (नजदीक जफर खां का रोजा) यमुना का उत्तरी आखिरी किनारा से हाजीपुरा, ताजमहल से दो मील दक्षिण में है, तक मापा है।

आगरा की लंबाई – उत्तर से दक्षिण – खटीक बाग से हाजीपुरा – 15,700 फुट

आगरा की चौड़ाई – पूरब से पश्चिम – छिंगा मोदी गेट से पाँटून ब्रिज तक – 11,500 फुट

उपरोक्त तथ्य सन 1871–72 के आधार पर हैं।

वर्ष 1722 का आगरा के नक्शे में भी चाहरदीवारी

जयपुर सग्रंहालय में रखे हुए वर्ष 1722 का आगरा का नक्शा भी चाहरदीवारी को दर्शाता है जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि आगरा शहर उस समय चाहरदीवारी से घिरा हुआ था। यूरोप के इतिहासकार ईवाकोच ने भी ताजमहल पर लिखी अपनी पुस्तक में इस नक्शे का संदर्भ दिया और उसी के आधार पर नक्शा अपनी पुस्तक में सम्मिलित किया जो समझने में आसान है।

आगरा की सिटी वॉल में थे 16 दरवाजे :

आगरा शहर की चाहरदीवारी में 16 दरवाजे थे और अनेक बुर्ज भी थे। इनमें से प्रमुख दरवाजे थे जो शहर के उत्तर पूरब दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा में क्रम से इस प्रकार थे:

1. पूर्वी गेट
2. कश्मीर गेट
3. दिल्ली गेट
4. आलमगंज गेट
5. फतेह मुहम्मद गेट
6. छिंगामोदी गेट
7. फूटा फाटक गेट
8. गुम्गम गेट
9. कंस गेट
10. छोटा ग्वालियर गेट
11. अजमेर गेट
12. दख्खिनी गेट
13. बड़ा ग्वालियर गेट
14. अमर सिंह गेट

आगरा में यमुना तट पर स्थित मुगल उद्यान (एबा कोच, 2006 से साभार)

River front Mughal gardens of Agra (After Ebba Koch 2006)

चाहरदीवारी में जगा शिलालेख

चाहरदीवारी में एक शिलालेख भी लगा हुआ था जिसका उल्लेख कार्लेल ने अपनी रिपोर्ट में भी किया। मूलतः यह शिलालेख जहांगीर के समय पर बनी हुई एक पुरानी मस्जिद और उसके गुम्बज के संबंध में था जिसको हाजी सुलेमान ने वर्ष 1621–22 में बनवाया था। जब यह मस्जिद और गुम्बज टूट गये तो इस शिलालेख को अजमेर गेट के पास चाहरदीवारी में लगा दिया गया जहां एक छोटा सा स्थान इबादत का भी था। शिलालेख पर उत्कीर्ण लिखावट का अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार है :

"God! there is no God but he; the living, the self-subsisting : neither slumber nor sleep seizeth him ; to him "*belongeth* whatsoever is in heaven, or on earth. Who is he "that can intercede with him, but through his good pleasure? He knoweth that which is past, and that which is to come unto them, and they shall not comprehend "anything of his knowledge, but so far as he pleaseth. His "throne is extended over heaven and earth, and the preservation of both is no burden unto him. He is the high, the "mighty." —(See Sale's *Al Koran,* chap. II. p. 31.)

(*Persian* line.)

"In the time of Nur-ud-din Muhammad, Jahangir, the "just, the Padshah, the contemptible slave Haji Salaiman "has built this mosque and dome in the year 1031" (A. D. 1621-22).

इस प्रकार शिलालेख में यह स्पष्ट लिखा था कि नूरउद्दीन मुहम्मद, जहांगीर जो न्यायप्रिय बादशाह थे, के समय में तुच्छ गुलाम हाजी सुलेमान द्वारा यह मस्जिद और गुम्बद वर्ष 1031 बनावाया गया है। (1621–22 ए.डी.) वर्तमान में यदि इस स्थान को देखा जाये तो यह महात्मा गांधी मार्ग पर सुभाष पार्क के सामने वाल्मीकि वाटिका के पीछे पचकुईया कब्रिस्तान की दीवार है किन्तु अब वहां दुकान खुल गई है जिससे शिलालेख ढक गया है। एएसआई को अतिक्रमण हटाकर इतिहास को जीवंत करने की कोशिश करनी चाहिए। वर्तमान में यह शिलालेख संरक्षित है जिसका संरक्षण 22.12.1920 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था जो वर्तमान में भी एएसआई द्वारा संरक्षित है। काश यह शिलालेख भी लोकप्रिय बने और प्राचीन आगरा की पहचान बने।

गोकुलपुरा में है सिटीवॉल के अवशेष

बहुत कम लोग यह जानते हैं कि कंस गेट से लगी हुई ककईया ईट की बनी लगभग 100 फुट लम्बी और आठ फुट ऊँची सिटीवॉल आज भी है। इस सिटीवॉल सबसे निचला हिस्सा सबसे चौड़ा है और यह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है कम चौड़ी होती है। ककईया ईट की बनी इस दीवार के ऊपर अनधिकृत रूप से गुम्मा ईटों से चिनाई कर दी गई है। यही नहीं, कुछ विज्ञापन भी इस दीवार पर पुते हुऐ हैं यह सिटीवॉल ब्रिटिश सरकार द्वारा आगरा के पश्चिम में गोकुलपुरा स्थित सिटीवॉल के नाम से दि. 22.12.1920 को संरक्षित की गई थी किन्तु वर्तमान में **ASI** के संरक्षण का कोई बोर्ड नहीं लगा है। क्या **ASI** इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी और 400 वर्षों से भी पुरानी सिटीवॉल के अवशेष की जानकारी भी आगरा वासियों और पर्यटकों के बीच ले जाना चाहेगी?

ब्रिटिश सरकार द्वारा गोकुलपुरा स्थित सिटीवॉल के अवशेष, शिलालेख एवं दरवाजों के संरक्षण की विज्ञप्तियों का विवरण

S.No.	Name of Monuments	Locality	Taluk/District	State	Preliminary	Final	Details of ownership	Whether under religious worship or not
1.	**City wall on the west side at Agra**	Gokulpura	Tehsil-Sadar, Agra	UP	UP 1412-M: 18-11-1920	UP 1645-M/1133: 22-12-1920	Central Govt.	No.
2.	**Dakhini Darwaza in Mohalla Tajganj.**	Taj Ganj	Tehsil-Sadar, Agra	UP	UP 78-M/367-57: 19-01-1918	245-M/367-67: 01-03-1918	Central Govt.	No.
3.	**Gateway at Pul Changa Modi**	Lohamandi Agra City	Tehsil-Sadar, Agra	UP	UP 1412-M: 18-11-1920	UP 1645-M/1133: 22-12-1920	Central Govt.	No.
4.	**Inscribed tablet in a piece of the old city wall of Agra (Akbarbad) (on the west side of the Drummond Road (now Mahatma Gandhi road) near the north end of Bakers Park and the junction of the road to Shahganj.)**	Agra	Tehsil-Sadar, Agra	UP	UP 1412-M: 18-11-1920	UP 1645-M/1133: 22-12-1920	Central Govt.	No.
5.	**Kans Gate**	Gokulpura Agra	Tehsil-Sadar, Agra	UP	UP 1412-M: 18-11-1920	UP 1645-M/1133: 22-12-1920	Central Govt.	No.
6.	**Old Delhi Gate of city.**	Agra	Tehsil-Sadar, Agra	UP	UP 1412-M: 18-11-1920	UP 1645-M/1133: 22-12-1920	Central Govt.	No.

2014 है उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग माता-पिता के लिए शुभ, अब मिलेगा

पूज्य को सम्मान!

- 10 जनवरी 2014 को उच्च न्यायालय ने दिए आदेश
- 15 फरवरी 14 को यूपी सरकार ने दी प्रख्यापन को मंजूरी
- उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती बस किराए में छूट
- अन्य प्रदेश कराते हैं सब्सिडी पर बुजुर्गों को तीर्थयात्रा
- सिर्फ घोषणा नहीं न्यायाधिकरण गठित करने होंगे

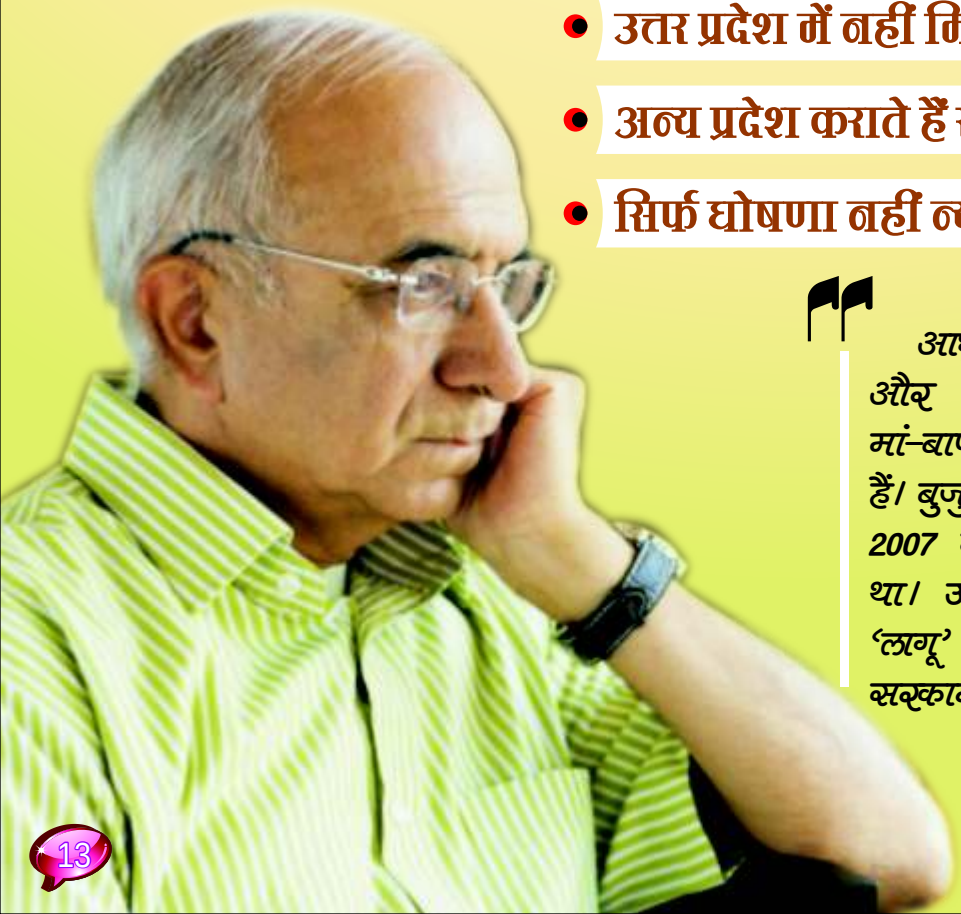

आधुनिकता की दौड़ में युवा अपने कैरियर और मौज-मस्ती के चलते अपने बुजुर्ग मां-बाप के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। बुजुर्गों की समस्याओं को ध्यान में रखकर 2007 में केंद्र सरकार ने अधिनियम बनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे प्रदेश में 'लागू' नहीं किया। अब अदालत और प्रदेश सरकार दोनों ने इसकी सुध ले ली है।

जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय का आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी 2014 को एक जनहित याचिका में आदेश दिये हैं कि उत्तर प्रदेश में माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के गुजारा एवं कल्याण अधिनियम 2007 को समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से 25 सितम्बर 2012 में अधिसूचित किये जाने से लागू हो चुका है। जबकि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ता को 07 जनवरी 2013 को दिए गए एक पत्र में कहा है कि अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के लिए नियमों की अधिसूचना प्रक्रिया में है। उच्च अदालत ने प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि अधिनियम के लागू होने के छह माह के अंदर यानी 25 मार्च 2013 से पहले इसकी अधिसूचना हो जानी चाहिए थी। जो अब तक (10 जनवरी 2014) नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने की घोषणा

उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने "उत्तर प्रदेश माता–पिता पोषण तथा कल्याण नियमावली – पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण – 2014" के प्रख्यापन को 15 फरवरी 2014 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद को गठित करेगी। प्रदेश में हर परगने में भरण पोषण अधिकरण बनाया जाएगा। प्रत्येक अधिकरण सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए सुयोग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगा। भरण पोषण आवेदन की सुनवाई निर्धारित समय सीमा में की जायेगी। सुलह अधिकारी के समक्ष समझौता होने पर अधिकरण अंतिम आदेश पारित करेगा। अधिकरण अधिकतम दस हजार रुपये तक भरण पोषण भत्ता देने का आदेश पारित कर सकेगा।

राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अपील अधिकरण गठित करेगी। इसमें परगना स्तर के भरण पोषण अधिकरण के सुलह अधिकारी के आदेश के विरुद्ध पीड़ित पक्ष अपील अधिकरण में जा सकेगा। नियमावली में निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों के प्रबंधन की योजना भी होगी। भरण पोषण अधिकरण के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण का दायित्व जिलाधिकारी का होगा। वृद्धाश्रमों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण का दायित्व भी जिलाधिकारी का ही होगा। वृद्धाश्रमों हेतु भौतिक सुविधाओं और परिचालन के मानक मापदण्ड स्थापित किए जाने की व्यवस्था नियमावली में की जाएगी।

नियमावली में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति के संरक्षण हेतु विस्तृत कार्ययोजना का समावेश किया गया है। राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की एक राज्य परिषद का गठन करेगी, जो राज्य सरकार को माता–पिता और पोषण तथा कल्याण अधिनियम–वरिष्ठ नागरिकों का भरण 2007 के प्रभावी क्रियान्वन के लिए सलाह देगी। जनपद स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों की एक जिला समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी, जो जिला स्तर पर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वन पर सलाह देगी।

कल्याण अधिनियम 2007 की पृष्ठभूमि

यह अधिनियम 31 दिसम्बर 2007 को लागू हुआ था। अधिनियम माता–पिता की देखभाल हेतु उनके बच्चों, नाती–पोतों अथवा उन रिश्तेदारों, जो वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति के संभवतः उत्तराधिकारी हो सकते हैं, पर मुख्य दायित्व प्रदान करता है। यह अधिनियम गरीब एवं निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को भी कहता है।

अधिनियम के उपबंध

- वे माता–पिता जो अपनी आय अथवा अपनी संपत्ति के माध्यम से अपनी देखभाल करने में अक्षम हैं, वे अपने बालिग बच्चों से देखभाल हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस देखभाल में उचित भोजन, आवास, वस्त्र एवं चिकित्सा उपचार का प्रावधान शामिल है।
- माता–पिता में जैविक, दत्तक तथा सौतेली मां एवं पिता, चाहे वरिष्ठ नागरिक हों अथवा नहीं, शामिल हैं।
- संतानहीन वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, वे भी अपने रिश्तेदारों, जो इस स्थिति में हैं अथवा उनकी संपत्ति में उत्तराधिकारी हो सकते हैं, से दावा कर सकते हैं।

- देखभाल हेतु आवेदन वरिष्ठ नागरिक स्वयं तैयार कर सकते हैं अथवा किसी व्यक्ति या स्वैच्छिक संगठन को इस कार्य के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। न्यायाधिकार अपने आप भी कार्रवाई कर सकता है।
- न्यायाधिकरण इन शिकायतों को प्राप्त कर जांच करा सकते हैं। अथवा बच्चों/रिश्तेदारों को उनके माता–पिता अथवा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु अंतरिम मासिक भत्ता देने के आदेश दे सकते हैं।

- यदि न्यायाधिकरण को यह संतुष्टि हो कि बच्चे अथवा रिश्तेदार अपने माता–पिता अथवा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में लापरवाही कर रहे हैं अथवा इंकार कर रहे हैं, तो वह उन्हें प्रतिमाह अधिकतम 10,000/– रुपये तक की मासिक देखभाल राशि देने का आदेश दे सकता है।
- राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक उप–मण्डल में एक अथवा अधिक न्यायाधिकरण बनाए। न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध वरिष्ठ नागरिकों की अपील की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले में अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकता है।
- इस प्रक्रिया के लिए किसी विधिक व्यवसायी की आवश्यकता अथवा स्वीकृति नहीं है।

बेटा–बेटी विदेश में, पिता की अत्येंष्टी लावारिस

माता–पिता पोषण तथा कल्याण नियमावली – पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण – 2014 के अधिनियम की अब आवश्यकता पड़ने लगी है। इसका अंदाजा हाल ही में सामने आया दयालबाग का मामला है, जो पुराना होते हुए भी 05 मार्च 2014 के अखबार से सामने आया है। 61 वर्षीय सुभाष खन्ना

रेलवे से सेवानिवृत अधिकारी थे। इनका बेटा दुबई में और बेटियां अमेरिका और अफ्रीका में हैं। पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए किराएदार रखा था। सुभाष खन्ना के एक रिश्तेदार को जब काफी खोजबीन के बाद भी खन्ना नहीं मिले, तब पुलिस से शिकायत हुई। पुलिस छानबीन में पता चला कि खन्ना सितंबर 2013 में बेहोशी के हालत में अमर विहार पुलिस चौकी के पास पड़े मिले थे। उनको एस एन इमर्जेंसी में भर्ती कराया गया। वहां दो दिन बाद उनकी मौत हो गई। बेटा–बेटी न पहुंचने पर पुलिस ने लावारिस के रूप में अत्येंष्टि कर दी। किराएदार का कहना था कि उसने उसी समय बेटा–बेटियों को सूचना दी थी। लेकिन किसी ने आने की हामी नहीं भरी। उनकी मौत के बाद भी आज तक किसी बेटा–बेटी ने उनकी सुध

नहीं ली है। ये हालात बच्चों की अपने बुजुर्ग माता–पिता के प्रति श्रद्धा की स्थिति बयां करने के लिए काफी हैं।

रामलाल वृद्धाश्रम कर रहा बेहतर काम

आगरा में यमुना किनारे सिकन्दरा में कैलाश मंदिर के निकट बने पं. राम लाल वृद्धाश्रम का भूमिपूजन विधान परिषद सदस्य रामसकल गूर्जर और पूर्व जिला वन अधिकारी एन के जानू ने 06 मई 2012 को किया था। इससे पहले यह आश्रम आवास विकास कॉलोनी में एक भवन में चल रहा था। वृद्धाश्रम के मुख्य संरक्षक श्री अशोक जैन सीए के अनुसार शहर में कोई बुजुर्ग उपेक्षित न हो, उन्हें खुले आकाश के नीचे जिंदगी न गुजारनी पड़े, इसके लिए यह पहल की गई है। 12 हजार वर्ग मीटर भूमिखंड पर बन रहे इस आश्रम में 250 कमरे, जिनमें चार बड़े हॉल बनाने की योजना है। इस आश्रम में एक 12 फुट ऊंचे शिव लिंग को स्थापित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा।

इस आश्रम के लिए श्री पंकज गुप्ता ने 10, श्री राजीव कपूर व श्री सुरेश चंद गर्ग ने 5–5, श्री वी. डी. अग्रवाल, डॉ. सुदर्शन सिंहल, श्री अतुल बंसल ने 2–2, विधायक श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री आर. डी. अग्रवाल, श्री संजीव गोयल, श्री अनिल जैन रंगकर्मी, श्री राजन चौधरी, सुश्री ईश्वर देवी और सुश्री उर्मिला देवी ने एक–एक कमरा बनवाने की घोषणा की थी।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन कर रहा है। जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से संबंधित 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों को प्रतिमाह 200 रुपये केंद्रीय सहायता एवं अलग–अलग प्रदेशों में निर्धारित अलग–अलग राशि के रूप में पेंशन प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश इसमें अपना 125 रुपये अंशदान जोड़ता है। अतः लाभार्थी को कुल 325 रुपये प्रतिमाह की दर से हर छह माह बाद भुगतान मिलता है।

मिलती है यात्रा में सुविधाएं

नागरिक विमानन मंत्रालय के अंतर्गत **एयर इंडिया** 65 वर्ष एवं उससे अधिक के पुरुष यात्रियों तथा 63 वर्ष एवं उससे अधिक की महिला यात्रियों के लिए वायुयान किराए में 50 प्रतिशत की छूट देता है।

भारतीय रेलवे 60 वर्ष एवं उससे अधिक के पुरुष यात्रियों को सभी श्रेणियों में 40 प्रतिशत तथा 58 वर्ष एवं उससे अधिक की महिला यात्रियों के लिए सभी श्रेणियों में 50 प्रतिशत किराए में की छूट देता है।

राज्य परिवहन बसों में वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती है।

दिल्ली में 60 वर्ष एवं उससे अधिक के

उत्तर प्रदेश शासन करे तीर्थ यात्रा सुगम

उत्तर प्रदेश के पड़ौसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा में मदद की जाती है। यह सुविधा मुस्लिम समुदाय को दी जाने वाली हज सब्सिडी की तर्ज पर दी गई हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह सुविधा पिछले कुछ सालों से दी जा रही है। राजस्थान में यह विधान सभा चुनावी वर्ष 2013 में शुरू हुई। मध्य प्रदेश में तो सीधे ट्रेन बुक करा कर स्पेशल तीर्थ यात्रा ट्रेन चलवाई जातीं हैं।

राजस्थान में देवस्थान विभाग द्वारा लागू

यात्रियों को 800 रुपये वाला मासिक पास 50 रुपये में बनता है। प्रति पास 200 रुपये दिल्ली सरकार दिल्ली परिवहन को अनुदान के रूप में क्षतिपूर्ति करती है।

हरियाणा में 65 वर्ष एवं उससे अधिक के पुरुष यात्रियों तथा 60 वर्ष एवं उससे अधिक की महिला यात्रियों के लिए सभी श्रेणियों में 50 प्रतिशत किराए में की छूट देता है। यह छूट 01 जनवरी 2014 से लागू हुई है।

पंजाब 60 वर्ष एवं उससे अधिक की महिला यात्रियों के लिए सभी श्रेणियों में 50 प्रतिशत किराए में की छूट देता है।

चंडीगढ़ 65 वर्ष एवं उससे अधिक के यात्रियों के लिए सभी श्रेणियों में 50 प्रतिशत किराए में की छूट देता है।

राजस्थान 60 वर्ष एवं उससे अधिक के यात्रियों के लिए सभी श्रेणियों में 30 प्रतिशत किराए में की छूट देता है।

महाराष्ट्र 65 वर्ष एवं उससे अधिक के यात्रियों के लिए सभी श्रेणियों में 50 प्रतिशत किराए में की छूट देता है।

उत्तर प्रदेश में बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां बुजुर्गों को रुटीन टिकट में कोई छूट नहीं है। सिर्फ मंथली पास में सात–आठ फीसदी छूट है, जबकि विद्यालय जाने वाले छात्र–छात्राओं को मंथली पास में कहीं अधिक छूट है।

इस योजना में एक सप्ताह की तीर्थ यात्रा कराने की योजना है। इस योजना के लाभ लेने के लिए वरिष्ठ नागरिक देवस्थान विभाग या जिला प्रशासन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना के अनुसार सरकार तीर्थ यात्री के भोजन और आवासन की सभी व्यवस्थाओं का संपूर्ण खर्च स्वयं वहन करेगी। यात्रियो की देखरेख अधिकारी करेंगे। विभाग प्रदेश के करीब 1000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराएगा।

मध्य प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक के नागरिकों को यात्रा की पात्रता है। मध्य प्रदेश शासन ने 51 जिलों के साठ हजार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है। शासन ने 65 वर्ष से अधिक के उम्र के यात्री के साथ एक सहायक को भी ले जाने की छूट दी है। बुजुर्ग दंपत्ति साथ जा सकेंगे। बुजुर्ग ग्रुप में (अधिकतम 25) भी आवेदन कर सकते हैं। अलग–अलग स्थानों से अलग–अलग स्थानों के लिए ट्रेनें रवाना हुई थीं।

भारतीय बुजुर्गों के मुद्दे एवं चुनौतियां

भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा वर्तमान के लिए जूझते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। उसके पास भविष्य के लिए पैसा और समय बचाने के विकल्प लगभग शून्य होते हैं। अतरू वह बाजार में उपलब्ध पेंशन प्लान में भी विनियोग नहीं कर पाता है।

महिलाओं में विधवा होने के बाद अनुभव ज्यादा कड़वे साबित हुए हैं। महिलाओं के लिए अलग से भी सोचे जाने की जरूरत है।

चिकित्सा सुविधा में 'बाल रोग विशेषज्ञ' की भांति बुजुर्ग रोग विशेषज्ञ के लिए नए पाठ्यक्रम को तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

असंगठित क्षेत्र के बुजुर्ग कामगारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर कल्याण योजना बनाए और चलाए जाने की आवश्यकता है।

हमारे सुझाव

उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी माह में की घोषणा को शीघ्र अमली जामा पहनाया जाए।

उत्तर प्रदेश परिवहन में हर टिकट पर बुजुर्गों के लिए छूट घोषित हो।

अल्पसंख्यकों को हज सब्सिडी की तर्ज पर तीर्थ यात्रा दर्शन में सब्सिडी की घोषणा हो।

वृद्धावस्था पेंशन में अन्य प्रांतों से प्रेरणा लेकर न्यूनतम एक हजार रुपये उपलब्ध कराई जाए।

वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान वर्तमान में छमाही होता है, इसे प्रतिमाह या तिमाही किया जाए।

मॉरिशस के राष्ट्रपति श्री राजेश्वर पुर्याग के साथ डॉ गिरीश सी गुप्ता

रेसपेक्ट एज इण्टरनेशनल

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज दुनिया में वृद्धजन सम्मान समारोह और वृद्धजन की समस्याओं को उठाकर समाज, सरकार से सुविधाओं, नियमों में बदलाव आदि की अपेक्षा सबसे पहले भारत के शहर आगरा में हुई। आज दुनिया के प्रगतिशील देश वृद्धजन के लिए कुछ करके अपने को दुनिया से आगे करने का दिखावा करते हैं। भारत के ऐतिहासिक शहर आगरा में इसकी शुरूआत सन 1950 से हुई। यह पहल करने वाले स्व. श्री हरि किशन गुप्ता ने एक सोसायटी के रूप में रेसपेक्ट एज को 1962 में रजिस्टर्ड कराया।

स्व. श्री हरि किशन गुप्ता के द्वारा लगाया गया पौधा आज वटवृक्ष बन कर लाखों बुजुर्गों को जोड़कर उनकी समस्याओं के निदान के लिए सूत्रधार की भूमिका अदा कर रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विदेशों में बुजुर्गों के लिए 'सहायता' का अभियान है जबकि भारत में श्री गुप्ता की पहल 'सम्मान और सेवा' का अभियान है। सहायता में बेचारगी के लिए कुछ करने का भाव है वहीं सम्मान से ओत–प्रोत होकर सेवा का भाव अपने आप में दीनता से महानता की ओर ले जाने वाला है। रेसपेक्ट एज इंटरनेशनल ने सम्मान और सेवा के भाव को भारत की सीमाओं से बाहर लांघ दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया है। रेसपेक्ट एज ने कई सेवा प्रकल्प चला रखे हैं।

चिकित्सकीय सेवा

- **प्रोस्टेट फ्री जांच एवं ऑपरेशन**

विगत चार वर्षों से संस्था पुष्पांजलि अस्पताल एवं वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट के सहयोग से प्रोस्टेट की फ्री जांच एवं ऑपरेशन के शिविर लगा रही है। इस इलाज में सभी पैथॉलॉजीकल, सोनोग्राफी जांच, अस्पताल में रहना, खाना एवं दवाएं सबकुछ फ्री होता है। अब तक 776 मरीजों की जांचें एवं 200 मरीजों के ऑपरेशन हो चुके हैं।

- **फ्री जांच एवं ऑपरेशन नेत्र रोग**

संस्था नेत्र रोग के मरीजों के लिए प्रत्येक वर्ष शिविर लगाकर करीब 300 व्यक्तियों की जांच व करीब 100 व्यक्तियों को लेंस सहित फ्री ऑपरेशन कराती है।

फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग

संस्था विगत छह वर्षों से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डवलपमेंट (यूजीसी से मान्य विश्वविद्यालय) के सहयोग से कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स करा रही है। अब तक 200 बुजुर्ग कंप्यूटर व इंटरनेट सीख चुके हैं।

युवाओं को जराचिकित्सा ट्रेनिंग

संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डवलपमेंट के सहयोग से युवाओं को जराचिकित्सा की ट्रेनिंग दे रहा है। अब तक 250 युवा ट्रेनिंग ले चुके हैं।

मॉरीसस सरकार से विनिमय कार्यक्रम

रेसपेक्ट एज इंटरनेशनल ने मॉरीसस सरकार से विनिमय कार्यक्रम के लिए एक सहमति पत्र सन 2001 में हस्ताक्षरित कराया हुआ है। इसके तहत करीब 300 भारतीय वरिष्ठजन मॉरीसस और करीब 200 मॉरीसस के वरिष्ठजन भारत घूम चुके हैं। यह किसी वृद्ध के लिए अविस्मरणीय पल के रूप में होते हैं।

वृद्धजन सम्मान समारोह

संस्था शुरू से ही यह कार्यक्रम कर रही है। संस्था इसी भावना के साथ शुरू हुई एवं इसी भावना के प्रचार–प्रसार करती रही है। संस्था जापान, यूके, यूएसए, रूस, घाना, मॉरीसस, फ्रांस, इटली आदि देशों में उस देश के सबसे अधिक वृद्ध का सम्मान कर चुकी है। भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, शिमला, एवं अन्य शहरों में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आदि से जनजागरण

संस्था ने दुनिया की पहली वरिष्ठजन की विश्व कॉंग्रेस 1979 में नौ दिन की आयोजित की थी। उसके बाद देश के कई शहरों में सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित हुई।

रेस्पेक्ट एज भवन निर्माण

संस्था का अपनी जमीन (करीब 1400 वर्ग गज) पर पश्चिमपुरी में भवन निर्मित हो रहा है। इसमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल, 15 कमरे (लैट–बाथ) सहित बन चुके हैं। इसमें कोई सरकारी सहायता नहीं ली गई है। यह सब सदस्यों के अपने सहयोग से संभव हुआ है। सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी भवन में होते हैं। भवन का पता है – रेस्पेक्ट एज भवन, 103, पश्चिमपुरी क्रॉसिंग, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा–282010 मो. 09219702485। वरिष्ठजन से संबंधित किसी भी सहयोग के लिए http://respectage.org/ या उक्त पते पर इसके मुख्य कार्यकारी डॉ. गिरीश सी गुप्ता से संपर्क किया जा सकता है।

रेस्पेक्ट ऐज के संस्थापक श्री एच. के. गुप्ता अप्रैल 1962 में जापान की एक कॉन्फ्रेंस में, जापान के वरिष्ठतम का सम्मान करते हुए

दो शब्द .....

कहां गये वे श्रवण कुमार जिन्होंने अपने नेत्रहीन माता–पिता को यात्रा करायी थी, वे मातृ–पितृ भक्ति के सबसे बड़े रोल–मॉडल थे लेकिन आज बदले भारतीय सामाजिक परिवेश में वृद्धो के लिए अपने घरों में जगह सिकुड़ गयी है, वे अपनों के लिए पराये हो गये हैं, उनकी उपयोगिता घर और समाज दोनों के लिए घट गयी है, वे अब बोझ समान हैं, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उनके लिए हमारे पास दो पल भी नहीं हैं, पश्चिमी देशों की तरह अब समाज को वृद्धाश्रमों की आवश्यकता हो रही है और हमारे शहरों में उनकी संख्या भी निरन्तर बढ़ रही है। आखिर कहां विलुप्त हो गये हमारे वे संस्कार, जहां वृद्धों को पूजा जाता था और उनकी सेवा–सुश्रा पुण्यकारी कार्य मानी जाती थी।

संसद द्वारा वृद्धों के लिए वर्ष 2007 में कानून बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, यह ज्वलंत प्रमाण है कि हमारे समाजिक मूल्यों में भारी छरण हुआ है और अब कानून का सहारा देना पड़ रहा है हमें अपने वृद्धों को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भी वृद्धो के लिए वर्ष 2014 में न्यायिक आदेश पारित करने की आवश्यकता भी उत्पन्न हुई है।

वृद्धों की दुखद स्थिति को कानून के सहारे कदाचित नही सुधारा जा सकता है, आखिर समाजिक समस्या का हल समाज को ही ढूंढना होगा, जिसका उपाय सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना ही है। जीवन की निरन्तर तेज हो रही रफ्तार में यह कठिन तो हो सकता है लेकिन असम्भव नहीं है। युवा और प्रौढ़ पीढ़ी को भी यह समझना होगा कि उनका भविष्य वृद्धों को सम्मानजनक जीवन देने में ही सुरक्षित है क्योंकि उन्हें भी एक दिन वृद्ध होना ही है।

के.सी. जैन
कनसेप्ट एडिटर

हैं अंश तुम्हारा ही, तुम्हारी ये संतान
तुम हो जिनका अंश, दें उन्हें भी सम्मान

आगरा के वरिष्ठतम राजस्व अधिवक्ता हैं

श्री के. पी. पालीवाल

- अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ता लेते हैं सलाह
- ब्रिटिश भारत में वकालत करने वाले अधिवक्ता
- आज भी पूरा दिन बीतता है अदालतों में
- पेशा नहीं जुनून है हकदार को न्याय दिलाना

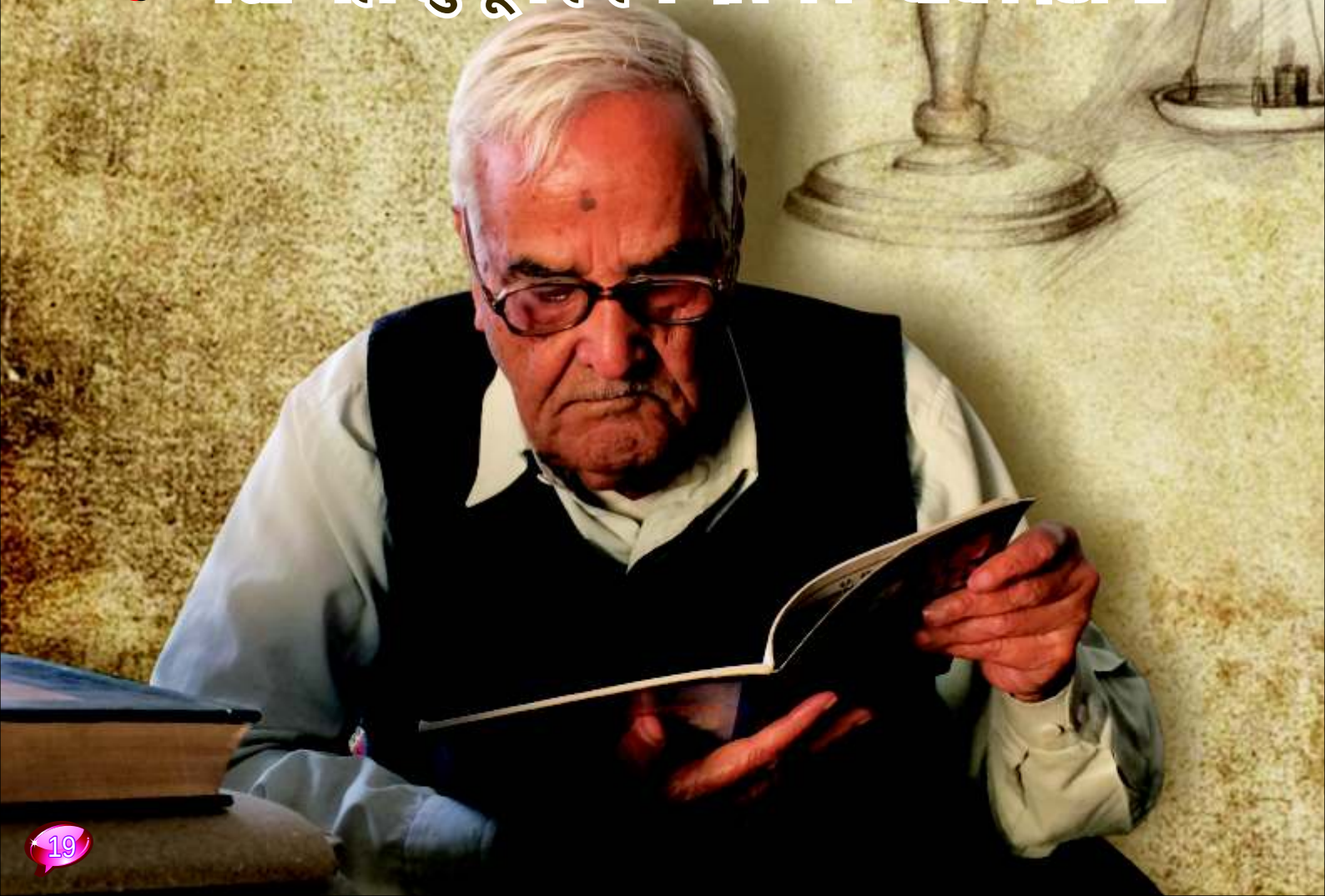

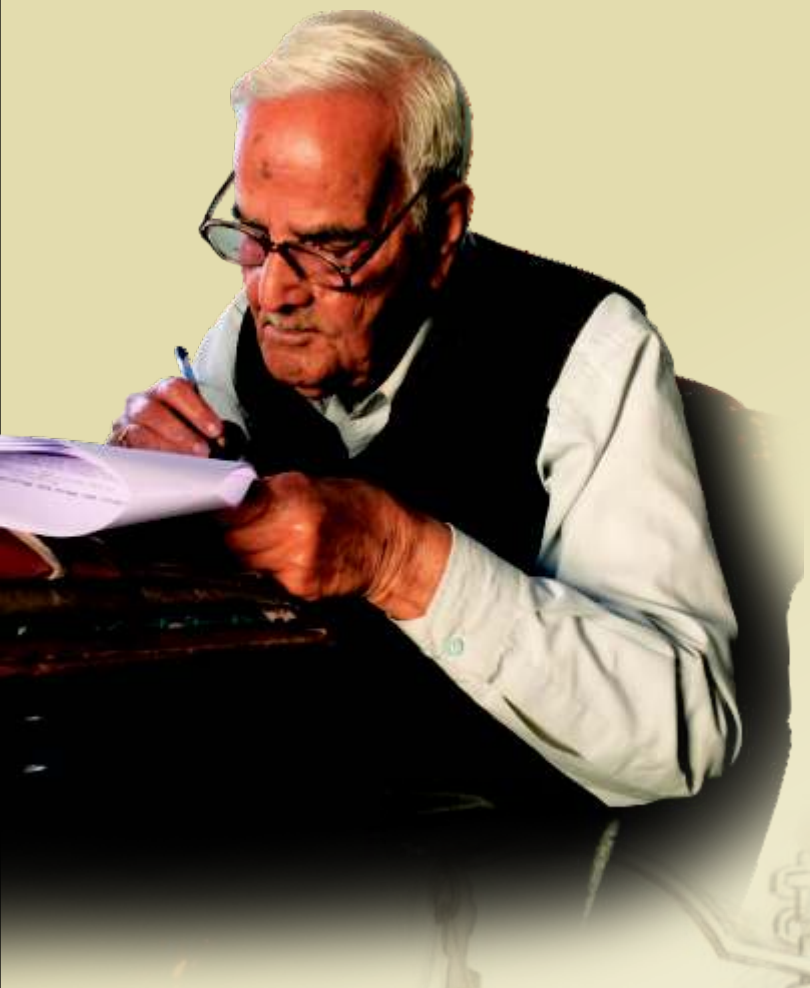

आगरा के श्री कामता प्रसाद पालीवाल जमीन और राजस्व मामलों के वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं। एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले श्री पालीवाल ने 1943 में वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली थी। तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू राम चन्द्र गुप्ता (उत्तर प्रदेश के सभापति रहे स्व. श्री शिवप्रसाद गुप्ता के पिताश्री) के निदेशन में फरवरी 1944 में ट्रेनिंग पूरी की। अप्रैल 1944 में 'प्रैक्टिसिंग लॉयर' का रजिस्ट्रेशन लेने वाले श्री पालीवाल ने ब्रिटिश भारत में अदालतों में बहस शुरू की और ये सिलसिला आज भी बरकरार है। सत्तर साल से वकालत कर रहे अधिवक्ता ने जीवन में एक–दो नहीं अनगिनत बदलाव देखे हैं। उनके जीवन के समृद्ध अनुभवों के जरिये हम न्याय पालिका में आए बदलावों पर भी एक नजर डालेंगे।

पेश है उनसे हुई विस्तृत बातचीत के संक्षिप्त अंश।

आगरा राइजिंग : बाबू जी, इस पेशे की शुरूआत कैसे हुई। क्या आपका शौक था या कोई और कहानी है?

श्री पालीवाल जी : बचपन में मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की थी। इसीलिए मैंने साइंस–बायलौजी ली थी। उस समय इंटर के बाद डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एडमीशन लिया जाता था। डॉक्टरी के लिए तय उम्र से मेरी उम्र कुछ माह कम थी। पिताजी की जमींदारी के चलते कई केस चलते रहते थे। पिताजी ने कहा कि अब साल खराब करने का क्या फायदा, ऐसा करो कि वकालत पढ़ लो, घर के केस भी ढंग से पैरोकारी हो जाएगी और बाहर से भी केस मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1941 में वकालत में एडमीशन ले लिया।

आगरा राइजिंग : आपकी वकालत की शुरूआत कैसे हुई?

श्री पालीवाल जी : उस समय वकालत की पढ़ाई दो साल की हुआ करती थी। मैंने 1943 में एक्जाम क्लियर कर लिया। तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू राम चन्द्र गुप्ता (उत्तर प्रदेश के सभापति रहे स्व. श्री शिवप्रसाद गुप्ता के पिताश्री) के निदेशन में फरवरी 1944 में ट्रेनिंग पूरी की। अप्रैल 1944 में 'प्रैक्टिसिंग लॉयर' का रजिस्ट्रेशन लिया। शुरूआत में मैंने एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था।

आगरा राइजिंग : प्रैक्टिसिंग लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर था?

श्री पालीवाल जी : उस समय एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत का अधिकार मिल जाता था, जबकि प्रैक्टिसिंग लॉयर को जैसे एडवोकेट बार का रजिस्ट्रेशन मिलता था। फिर उसे जिले की जजशिप में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन के बाद वकालत का अधिकार मिलता था।

आगरा राइजिंग : आपने सीधा एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया।

श्री पालीवाल जी : उस समय एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन की फीस 750/– रुपये थी। यह कितनी बड़ी रकम थी, ऐसे जानी जा सकती है कि सरकारी क्लर्क को सौ रुपये के लगभग वेतन मिलता था, आगरा कॉलेज के लेक्चरर को लगभग 250/– रुपये वेतन था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक साल के लिए होता था, जो हर साल रिन्यू कराना पड़ता था।

आगरा राइजिंग : फिर वकालत का सिलसिला आगे कैसे बढ़ा?

श्री पालीवाल जी : रजिस्ट्रेशन की बाद मैंने ख्यातिलब्ध पं. श्योबरन सिंह एडवोकेट के जुनियरशिप में काम शुरू किया। पंडित जी ने मुझे बहुत बारीकियां सिखाई। मैं उन के सिखाए ज्ञान एवं संस्कार का आज भी पालन कर रहा हूं। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतने वरिष्ठ वकील से सीखने को मिला। उनके साथ मैंने दस साल गुजारे। फिर मेरे पास इतना काम आ गया था कि समयाभाव के चलते उनके साथ काम के बजाय खुद अपनी पहचान और योग्यता के आधार पर काम आगे बढ़ाया। मेरे पंडित जी से संबंध उनके जीवन पर्यंत गुरू–शिष्य के रहे।

आगरा राइजिंग : उस समय आमतौर पर औसतन एक केस को निर्णय तक पहुंचने में कितना समय लगता था, और अब कितना समय लगता है?

श्री पालीवाल जी : आजादी से पहले रेवेन्यू केस आमतौर पर छह माह में निबट जाता था। अब तो कई केस सिल्वर जुबली मनाते हैं। एक केस तो मेरे ही पास है जो गोल्डन जुबली मनाने की पूरी उम्मीद है।

आगरा राइजिंग : क्या केस को निबटाने की कोई समय सीमा नहीं होती है?

श्री पालीवाल जी : आप को जान कर आश्चर्य होगा कि यहां पर हर केस की समय सीमा एक वर्ष निर्धारित है। सभी केस इसी समय सीमा में निबटाने की बाध्यता है।

आगरा राइजिंग : फिर कोई केस जुबली कैसे मना लेते हैं?

श्री पालीवाल जी : रेवेन्यू केस साल पूरा होने के कगार पर निपटने की स्थिति में न हो तो किसी तारीख पर दोनों पक्षों, उनके वकील की 'ऑफ द रेकॉर्ड सहमति' से दोनों पक्ष अनुपस्थित हो जाते हैं। दोनों पक्षों के अनुपस्थित रहने पर अदालत उस केस को खारिज कर देती है। बाद में अधिवक्ता प्रार्थना पत्र लगा कर रेस्टोर करा लेते हैं। हर बार रेस्टोर होने पर केस का नया नंबर मिल जाता है। सिविल केस में नंबर वही रहता है।

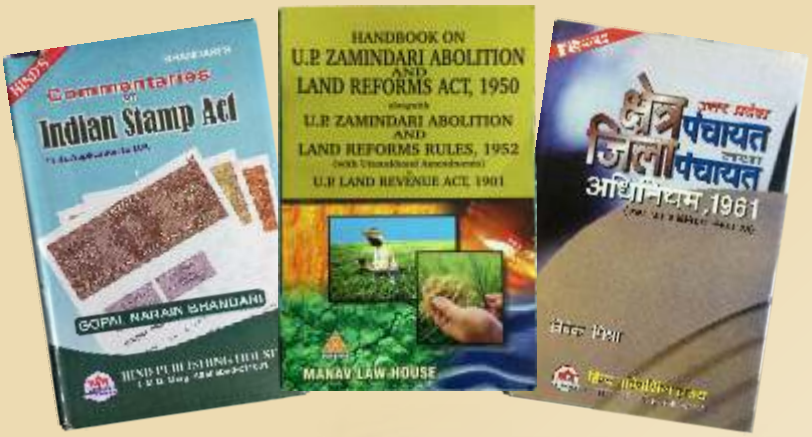

आगरा राइजिंग : क्या बार–बार रेस्ट्रोरेशन रोकने के लिए कोई नियम नहीं हैं?

श्री पालीवाल जी : नियमानुसार केस खारिज होने के बाद 15 दिन की समय सीमा में रेस्ट्रोरेशन हो जाना चाहिए। व्यवहार में देखा जाता है कि एक और दो साल बाद भी रेस्ट्रोरेशन एक प्रार्थना पत्र लगाकर हो जाता है। बार–बार रेस्ट्रोरेशन रोकने के लिए भी कोई नियम याद नहीं आता।

आगरा राइजिंग : केस में नया नंबर मिल जाने से बाद में कोई परेशानी नहीं आती?

श्री पालीवाल जी : सिविल में केस केस नंबर एवं सन के आधार पर रिकॉर्ड में रखा जाता है। रेवेन्यू केस में ऐसा नहीं होता। रेवेन्यू केस में गांव के आधार पर बस्ते तैयार होते हैं। एक गांव के केस का इन्डेक्स भी बस्ते के आधार पर होता है। अतः गांव के आधार पर केस ढूंढ लिए जाते हैं।

आगरा राइजिंग : क्या जनहित गारंटी अधिनियम केस को समय से निबटाने में मदद करता है?

श्री पालीवाल जी : जनहित गारंटी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र से शुरू हुए केस जिसमें कोई विरोध पक्ष न हो (दाखिला खारिज आदि), 45 दिन में निबटाए जाने चाहिए। लेकिन इस अधिनियम का प्रयोग इसलिए नहीं हो पाता है, कि प्रार्थना पत्र दाखिल करते समय अदालत के बाबू प्रायः प्राप्ति रसीद नहीं देते हैं। इससे व्यक्ति समय सीमा के तहत निस्तारित नहीं करा पाता।

आगरा राइजिंग : कोई ऐसा केस जो लीक से हटकर नजीर स्थापित करता हो?

श्री पालीवाल जी : आगरा में कलक्टर रहे श्री मुकेश मेश्राम ने ऐसा एक केस निपटाया था। कलक्टर की अदालत में स्टांप कमी का एक केस था। एक प्लॉट (खेत) दो हिस्सों में बिका। पहली बार आधा हिस्सा दिल्ली के कॉलोनाइजर ने खरीदा। तब उस क्षेत्र का सर्किल रेट एक लाख रुपये हेक्टर था। प्लॉट का आधा हिस्सा बिकने के कुछ दिन बाद ही जून माह में सर्किल रेट रिवाइज हो गए। रिवाइजड सर्किल रेट हो गया 04 लाख रुपये हेक्टर। अगस्त माह में बाकी आधा हिस्सा बिका। खरीददार ने चार लाख रुपये की दर से पूरा स्टांप शुल्क अदा किया। आरोप है कि उपनिबंधक का कार्य अशोभनीय था। अपुष्ट चर्चा है कि उपनिबंधक ने सारे तथ्य किसी तीसरी पार्टी को लीक कर दिए। तीसरी पार्टी ने कई उच्चाधिकारियों के पास स्टांप कमी की फर्जी शिकायत की। इस शिकायत की जांच कलक्टर (श्री मेश्राम) ने तहसीलदार को दी, तहसीलदार ने नायब तहसीलदार को, नायब ने उन्हीं उपनिबंधक को दी। उपनिबंधक ने मौके का दौरा दिखाकर तथ्यों को तोड़मरोड़ कर अपनी रिपोर्ट खिलाफत में लगा दी। वही रिपोर्ट वापिसी के उसी क्रम में कलक्टर तक की लग गई। जब फर्जी आरोपित पार्टी मेरे साथ (श्री पालीवाल जी) अदालत में पेश हुई तो सारे तथ्य सुनने के बाद कलक्टर ने केस खारिज कर दिया। जबकि कोई अपनी (प्रक्रिया अनुसार) जांच को गलत नहीं मानता है। वाकई श्री मेश्राम न्यायप्रिय अधिकारी हैं।

आगरा राइजिंग : आप हाईकोर्ट में इतने ज्यादा केस लंबित रहने का क्या कारण मानते हैं?

श्री पालीवाल जी : ब्रिटिश काल में केस कम रहने का कारण पद के क्रमानुसार अपील का प्राविधान था। 1997 में हुए संशोधन नंबर 20/1997 के अनुसार तहसीलदार के निर्णय के खिलाफ रीवीजन दाखिल करने के लिए कलक्टर, कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में से किसी एक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। जिसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। यदि वादकारी उससे भी संतुष्ट नहीं होता है तो सीधे उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करे। यही वजह उच्च न्यायालय में केस का अंबार लागने में सहायक होती है।

आगरा राइजिंग : लंबित केसों की संख्या कम कैसे हो सकती है? विस्तार से बताएं।

श्री पालीवाल जी : यदि पुरानी व्यवस्था, जिसमें कोई जंप नहीं था, लागू की जाए तो केस कम हो सकते हैं। यानी तहसील को ज्यादा सक्षम बनाकर कलक्ट्री में होने वाले केस 'घर के नजदीक' तहसील स्तर पर निबटाए जाएं। तहसील के निर्णय के खिलाफ व्यक्ति कलक्ट्री से न्याय पाए। यदि कलक्ट्री से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो व्यक्ति कमिश्नरी जाए और सिर्फ कमिश्नरी के खिलाफ व्यक्ति बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाए। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ अपील करे वही उच्च न्यायालय जाए। ऐसा होने पर व्यक्ति को हाईकोर्ट के मुकाबले कम खर्च में, घर के नजदीक न्याय मिल सकेगा।

आगरा राइजिंग : जैसा कि आपने बताया था कि व्यवहार में उच्च अधिकारी लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार ही निर्णय लेते हैं। यदि कोई लेखपाल ही गलती करे तो क्या उपाय है।

श्री पालीवाल जी : आपने बहुत अच्छी बात कही। रेवेन्यू केस में लेखपाल सबसे अहम कड़ी है। पहले पटवारी राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी होता था। वह समाज सेवक के रूप में किसान और सरकार के बीच की कड़ी होता था। अब लेखपाल राजस्व विभाग का सबसे ताकतवर अधिकारी के रूप में विद्यमान है। इससे भी बड़ी बात यह है कि विभाग में लेखपाल की हुई गलती (जानबूझकर या अनजाने में) का कोई क्रॉस चौकिंग की व्यवस्था नहीं है। मेरा (वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते) सुझाव है कि नीति नियंताओं को लेखपाल की क्रॉस चौकिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे काफी केस अपने आप कम हो जाएंगे। व्यवहार में कोई लेखपाल की रिपोर्ट को तहसील में उपलब्ध रेकॉर्ड से भी मिलान नहीं करता है। यदि ज्यादातर मामलों में सिर्फ रिपोर्ट का मिलान रेकॉर्ड से हो जाए, तो काफी गल्तियां सामने आ जाएंगी। उससे न आम आदमी का समय, श्रम और पैसा खर्च होगा और न अदालत का।

कहां होते हैं कैसे रेवेन्यू केस

तहसील	**दाखिला खारिज**
कलक्ट्रेट	• **दाखिला खारिज के केस की अपील** • **उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत टाइटल व कब्जे के वाद** • **अचल संपत्ति बिक्री में कम स्टांप ड्यूटी केस** • **जमीन अधिग्रहण के मुआवजा संबंधी केस**
कमिश्नरी	**तहसील एवं कलक्ट्री के निर्णयों पर अपील एवं रिवीजन का कार्य**
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू	**तहसील, कलक्ट्री एवं कमिश्नरी के निर्णयों पर अपील / रिवीजन कार्य**
उच्च न्यायालय	**कलक्ट्री, कमिश्नरी एवं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के निर्णयों के विरूद्ध रिट याचिका**
उच्चतम न्यायालय	**देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर अनुमति याचिकायें / अपील**